प्रति, जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

A2
T

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

शंकर बनाम ग्राम पानीदेवी वगैरा
अपील प्रकरण सं. 14 /2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
25.03.15	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। वकील अपीलांट को निर्देशित किया जाता है कि रिपोर्ट के बिन्दू सं0 7 की पालना की जावे। पालना उपरांत अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-4-15 को पेश हो।	
29.04.15	पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली दिनांक 9/6/15 को पेश हो।	
9-6-15	पत्रावली राजस्व लोक अदालत के समक्ष पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित नहीं। रूक-रूक कर बार-बार आवाजें लगाई गई। वकील अपीलांट ने रिपोर्ट दि० 25.3.15 के बिन्दू सं०7 व आदेशिका दि० 25.3.15 की पालना में कमियों की पूर्ति नहीं की है। अतः अपील अपीलांट अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं डिफाल्ट में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 9/6/15	

Scanned by CamScanner

ADM(A)

कार्यालय टिप्पणी

17/03/16 अपीलांट के अधिवक्ता उप०। अपीलांट के अधिवक्ता गत आदेश की पालना करें। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 28.04.16 को पेश हो।

28/04/16 अपीलांट के अधिवक्ता उप०। अपीलांट के अधिवक्ता गत आदेश की पालना करें। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 10.06.16 को पेश हो

10/06/16 अपीलांट के अधिवक्ता उप०। अपीलांट के अधिवक्ता ने गत आदेश की पालना नही की। गत आदेश की पालना में सम्मन तलवाना पेश करने हेतु अपीलांट के अधिवक्ता को अंतिम मौका दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 28.06.16 को पेश हो

28/6/16 अपीलांट के Ad. को एक-२ बार-२ आवाजें लगाई गई, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। गत आदेश की पालना में रेस्पो० की तलबी हेतु सम्मन तलवाना पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था-लेकिन सम्मन तलवाना भी पेश नहीं किया है ऐसा प्रतीत होता है वकील अपीलांट अपील में रूची नहीं रखते हैं। अत: अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति अधी० न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)